न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2018/19

1. नौरंगराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी दुलमेरा स्टेशन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानरे।

वादी

बनाम

1. गुलाबराम पुत्र श्रीआसाराम जाति नायक निवासी चक 86 जीबी अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगगांनगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॅार्ड दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट एवं धारा 131,132,136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री मेजरसिंह गिल
2. श्री भानूप्रताप शर्मा
3. पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

–:निर्णयः–

दिनांकः–24.07.2019

1 संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट एवं 131,132,136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम खाता संख्या 89 के नये खसरा नं. 304 व पुराना खसरा नं. 146/2 व 144/3 में 10.12 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम दुलमेरा तहसील लूनकरनसर वादी की आवंटित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि तथा नक्शे में तरमीम करके जमाई हुई है जिसके आसा पास में उत्तर में गणेशाराम मूंड की भूमि दक्षिण में स्वयं की खंन. 146/3 पूर्व में हंसेरा की रोही व पश्चिम में गुलाबराम हैं। उक्त आसे पासे की भूमि पर वादी का वर्षो से कब्जा एवं दखल चला आ रहा है व नक्शा में लाल स्याही से तरमीम की हुई है।

2 ग्राम दुलमेरा की रकबे की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान नया रिकॅार्ड तैयार कर राजस्व विभाग को सुपुर्द किया गया । जिसमें पुराना खसरा नं. 146/2 तथा 146/3 के नये खसरा नं. 3 सौ 4 बनाकर नक्शा में वादी की पश्चिम दिशा में कब्जे की भूमि को छोड़कर तरमीम किया गया है तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा दर्शाया गया है। जहां पर पहले पुराना खसरा नं. 146/2 व 146/3 तरमीम तथा उसके नये खसरा नं. 304 बनाकर नक्शे में पश्चिम दिशा में लगभग 3 बीघा दूर तरमीम कर दिया गया है। जहां पहले पुराना खसरा नं. 146/2 तथा 146/3 के किनारे पर दर्शाया गया है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग ने पुरानी तरमीम एवं कब्जा काश्त के विपरित जाकर नया रिकॅार्ड तैयार किया गया है जो अवैध एवं शून्य है जिसे निष्प्रभावी घोषित कराके वादी नये

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

नक्शे में पुरानी तरमीम के कब्जे काश्त के मुताबिक नये बन्दोबस्ती नक्शे तरमीम कराने का हकदार है ।

3. वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम दुलमेरा संवत 2072–2075 खाता संख्या 89 हाल खसरा नं 304 तादादी 10.12 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दी संवत 2068–2071 पुराने खसरा नं. 146/2 146/3 तादादी 40 बीघा की प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति नक्शा ग्राम दुलमेरा पुराना व नया की प्रमाणित प्रतियां पेश की 4. उभयपक्ष की बहस सूनी गई।

4. प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किये जाने के कारण वाद बिन्दू तय नहीं किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त कर मुताबिक कब्जा नये सिरे से तरमीम दुरूस्ती की घोषणा हेतु निवेदन किया । वकील वादी ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कब्जा काश्त के विपरित तरमीम से प्रतिवादी भी प्रभावित है। अतः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निष्प्रभावी घोषित कर नये सिरे से तरमीम के आदेश फरमावें। प्रतिवादीगण ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया । बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब दावा अनुसार वादी के पक्ष में यह वाद निर्णित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूनकरनसर को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा दुलमेरा के खसरा नं 146/2 व 146/3 जिसके वर्तमान खसरा नं. 304 की तादादी 10.12 हैक्टेयर भूमि की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त कर मुताबिक कब्जा काश्त नये सिरे से तरमीम करें। तरमीम करने से पूर्व कब्जा काश्त की जाँच उपरान्त दोनो पक्षो की उपस्थिति में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली निर्णय में शुमार होकर बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

24/7/19
(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : शिवपाल जाट आरएएस

नौरंगराम **बनाम** गुलाबराम आदि

दावा अंतर्गत धारा 88,89 आरटीए, धारा 131,132,136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
19/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी, मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुलमेरा के खसरा नं 146/2 व 146/3 जिसके वर्तमान खसरा नं. 304 की तादादी 10.12 हैक्टेयर भूमि की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त कर मुताबिक कब्जा काश्त नये सिरे से तरमीम करें। तरमीम करने से पूर्व कब्जा काश्त की जाँच उपरान्त दोनो पक्षो की उपस्थिति में तरमीम करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.............................. फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-.......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक **24.07.2019** को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner